राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

आश्विन 15, सोमवार, शाके 1935–अक्टूबर 7, 2013
Asvina 15, Monday, Saka 1935–October 7, 2013

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 4, 2013

जी.एस.आर.75:–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सहकारी सेवा (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 6 का संशोधन** .– राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 6 के खण्ड (क) में, –

(i) विद्यमान उप–खण्ड (i),(ii),(iii) और (iv) को क्रमशः उप–खण्ड (ii),(iii),(iv) और (v) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप–खण्ड (ii) के पूर्व निम्नलिखित नया उप–खण्ड (i) और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :–

"(i) अतिरिक्त पंजीयक (वरिष्ठ वेतनमान),"

(iii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप–खण्ड (v) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (vi) और उसकी प्रविष्टियां तथा

परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(vi) वरिष्ठ प्रचार अधिकारी :

परन्तु वरिष्ठ प्रचार अधिकारी का पद उस तारीख को समाप्त हुआ समझा जायेगा जिसको वह अधिकारी, जिसे राजस्थान सहकारी सेवा (संशोधन) नियम, 2013 के प्रारंभ के पश्चात् प्रथम बार पदोन्नत किया जाये, सेवानिवृत्त हो जाये।"

3. **नियम 7 का प्रतिस्थापन .–** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"**7. भर्ती का स्रोत .–** (1) सेवा में के पद(पदों) पर भर्ती निम्नलिखित रीतियों से नीचे यथा उल्लिखित अनुपात में की जायेगी, अर्थात् :–

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती का स्रोत प्रतिशत सहित	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अनुभव
1	2	3	4	5
1.	अतिरिक्त पंजीयक (वरिष्ठ वेतनमान)	100% पदोन्नति द्वारा	अतिरिक्त पंजीयक	सेवा के सदस्य के रूप में कुल मिलाकर 25 वर्ष की सेवा
2.	अतिरिक्त पंजीयक	100% पदोन्नति द्वारा	संयुक्त पंजीयक	स्तम्भ 4 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव और सेवा के सदस्य के रूप में कुल मिलाकर 18 वर्ष की सेवा
3.	संयुक्त पंजीयक	100% पदोन्नति द्वारा	उप पंजीयक	स्तम्भ 4 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव
4.	उप पंजीयक	100% पदोन्नति द्वारा	सहायक पंजीयक और समतुल्य	स्तम्भ 4 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव
5.	सहायक पंजीयक / विस्तार अधिकारी / निजी सहायक, पंजीयक / शिक्षा अधिकारी	50% पदोन्नति द्वारा और 50% राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के	निरीक्षक ग्रेड–I	स्तम्भ 4 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव

1	2	3	4	5
		अनुसार आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा		
6.	वरिष्ठ प्रचार अधिकारी	100% पदोन्नति द्वारा	प्रचार अधिकारी	स्तम्भ 4 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव

परन्तु उन अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां आरक्षित रखी जायेंगी जो राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 4 के उप–नियम (2) के अनुसार अराजपत्रित कर्मचारी हैं।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में नियुक्त व्यक्ति किसी भी समय नियमों/अनुसूची में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय–समय पर स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हों।"

[संख्या एफ. 1(17)डीओपी/ए–II/84]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार यादव,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A- Group - II)
NOTIFICATION
Jaipur October 4, 2013

G.S.R.75.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Co-operative Service Rules, 1954, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Co-operative Service (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 6.- In clause (a) of rule 6 of the Rajasthan Co-operative Service Rules, 1954, herein after referred to as the said rules,-

(i) the existing sub-clause (i), (ii), (iii) and (iv) shall be renumbered as sub-clause (ii), (iii), (iv) and (v) respectively.

(ii) before sub-clause (ii), so renumbered, the following new sub-clause(i) and entries thereto shall be added, namely:-

"(i) Additional Registrar (Senior Scale),"

(iii) after sub-clause (v), so renumbered, the following new clause (vi) and entries thereto alongwith proviso shall be added, namely:-

"(vi) Senior Publicity Officer :

Provided that the post of the Senior Publicity Officer shall be deemed to be abolished on the date on which the officer, who is promoted for the first time after commencement of the Rajasthan Co-operative Service (Amendment) Rules, 2013, retires."

3. Substitution of rule 7.- The existing rule 7 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"7 Source of recruitment .- (1) Recruitment to the post (s) in the service shall be made by the following methods in proportions as mentioned below, namely:-

S. No.	Name of post	Source of recruitment with percentage	Post from which promotion is to be made	Experience for promotion
1	2	3	4	5
1.	Additional Registrar (Senior Scale)	100% by promotion	Additional Registrar	25 years service in all as a member of the service.
2.	Additional Registrar	100% by promotion	Joint Registrar	3 years' experience on the post mentioned in column 4 and 18 years service in all as a member of the service.

1	2	3	4	5
3.	Joint Registrar	100% by promotion	Deputy Registrar	5 years' experience on the post mentioned in column 4
4.	Deputy Registrar	100% by promotion	Assistant Registrar and equivalent	5 years' experience on the post mentioned in column 4
5.	Assistant Registrar/ Extension Officer/ P.A. to Registrar/ Education Officer	50% by promotion And 50% by direct recruitment by Combined Competitive Examination conducted by the Commission in accordance with the Rajasthan State and Subordinate Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1999	Inspector Grade-I	5 years' experience on the post mentioned in column 4
6.	Senior Publicity Officer	100% by promotion	Publicity officer	5 years' experience on the post mentioned in column 4

Provided that vacancies shall be reserved for candidates who are non-gazetted employees in accordance with sub-rule (2) of rule 4 of the Rajasthan State and Subordinate Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1999.

(2) Recruitment to the service by the aforesaid methods shall be made in such a manner that the persons appointed to the service by each method do not at any time exceed the percentage laid down in the Rules/Schedule of the total cadre strength as sanctioned for each category, from time to time."

[No. F. 1(17)DOP/A-II/84]

By Order and in the name of the Governor,

दिनेश कुमार यादव,

Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.